अध्याय 5

सेवा कर

1994 के अधिनियम 32 का संशोधन।

71. वित्त अधिनियम, 1994 में,—

(क) धारा 65 में, यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, उस तारीख से, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे,—

(1) खंड (9) का लोप किया जाएगा ;

(2) खंड (25क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

'(25क) "नैदानिक स्थापन" से—

(i) किसी व्यक्ति या व्यष्टि-निकाय के, चाहे निगमित हो या नहीं, स्वामित्वाधीन, उसके द्वारा स्थापित, प्रशासित या प्रबंधित कोई अस्पताल, प्रसूतिगृह, परिचर्यागृह, औषधालय, क्लीनिक, सेनेटोरियम या कोई संस्था, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है, जिसके स्थापन में वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय उसके परिसर में पूर्णतः या भागतः केन्द्रीय वातानुकूलन सुविधा है और उसमें भर्ती मरीजों के उपचार के लिए पच्चीस से अधिक बिस्तर हैं, जो रोग, बीमारी, क्षति, अंग-विकार, अप्रसामान्यता या गर्भावस्था के लिए आयुर्विज्ञान की किसी पद्धति में निदान, उपचार या देखभाल संबंधी सेवाएं प्रदान करता है ; या

(ii) किसी स्वतंत्र इकाई के रूप में या उपखंड (i) में निर्दिष्ट किसी नैदानिक स्थापन के भाग के रूप में किसी व्यक्ति या व्यष्टि-निकाय के, चाहे निगमित हो या नहीं, स्वामित्वाधीन, उसके द्वारा स्थापित, प्रशासित या प्रबंधित कोई इकाई अभिप्रेत है, जो विकृतिजन्य, जीवाणु विज्ञान, आनुवंशिकी विज्ञान, रेडियोधर्मिता, रसायन, जीव विज्ञान संबंधी अन्वेषण या अन्य निदान संबंधी या अन्वेषणीय सेवाओं के माध्यम से, प्रयोगशाला या अन्य चिकित्सीय उपस्कर की सहायता से, बीमारियों का निदान करता है,

किन्तु इसके अंतर्गत—

(क) सरकार ; या

(ख) किसी स्थानीय प्राधिकारी,

के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई स्थापन नहीं है ;

(25कक) "क्लब या संगम" से ऐसा कोई व्यक्ति या व्यष्टि-निकाय अभिप्रेत है, जो मुख्य रूप से अपने सदस्यों को किसी अभिदाय या अन्य रकम के लिए सेवाएं, प्रसुविधाएं या फायदे प्रदान करता है, किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं—

(i) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित कोई निकाय ; या

(ii) व्यापार संघों के क्रियाकलापों, कृषि, बागवानी या पशु पालन के संवर्धन में लगा कोई व्यक्ति या व्यष्टि-निकाय ; या

(iii) कोई व्यक्ति या व्यष्टि-निकाय, जो किसी ऐसे क्रियाकलाप में लगा हुआ है, जिसके उद्देश्य ऐसे हैं, जो लोक सेवा और पूर्त, धार्मिक या राजनीतिक प्रकृति के हैं ; या

(iv) प्रेस या मीडिया से सहबद्ध कोई व्यक्ति या व्यष्टि-निकाय ;";

(3) खंड (27) में, "ऐसे प्रशिक्षण केंद्र या ऐसे संस्थान या स्थापन, जो प्रमाणपत्र या डिप्लोमा या डिग्री या तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा मान्यताप्राप्त कोई शैक्षिक अर्हता जारी करते हैं, सम्मिलित नहीं है" शब्दों के स्थान पर, "प्रशिक्षण सम्मिलित नहीं है" शब्द रखे जाएंगे ;

(4) खंड (104ग) में, "विपणन के लिए संक्रियात्मक सहायता," शब्दों के स्थान पर, "किसी भी रीति में संक्रियात्मक या प्रशासनिक सहायता," शब्द रखे जाएंगे ;

(5) खंड (105) में,—

(क) उपखंड (यण) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(यण) किसी व्यक्ति को, तिपहिया स्कूटर ऑटो रिक्शा और माल वहन के लिए बने मोटर यान से भिन्न किसी मोटर यान की मरम्मत, पुनर्नुकूलन, पुनरुद्धार या साज-सज्जा के लिए किसी अन्य सेवा या उसी प्रकार की अन्य सेवाओं के संबंध में, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ;";

(ख) उपखंड (यभ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(यभ) किसी पालिसीधारक या किसी व्यक्ति को, जीवन बीमा कारबार करने वाले किसी बीमाकर्ता, जिसके अंतर्गत पुनःबीमाकर्ता भी है, द्वारा ;";

(ग) उपखंड (ययययड) में, "अपने सदस्यों" शब्दों के पश्चात्, "या किसी अन्य व्यक्ति" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(घ) उपखंड (ययययड) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ययययड) (i) विधि की किसी शाखा में सलाह, परामर्श या सहायता के संबंध में, किसी व्यक्ति को किसी भी रीति में, किसी कारबार अस्तित्व द्वारा ;

(ii) किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व करने संबंधी सेवाओं के संबंध में, किसी कारबार अस्तित्व को किसी व्यक्ति द्वारा ;

(iii) माध्यस्थम् के संबंध में, किसी कारबार अस्तित्व को किसी माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा ।

स्पष्टीकरण—इस मद के प्रयोजनों के लिए, "माध्यस्थम्" और "माध्यस्थम् अधिकरण" के वही अर्थ हैं, जो माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 में क्रमशः उनके हैं ;';

1996 का 26

(ङ) उपखंड (यययण) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(यययण) किसी व्यक्ति को,—

(i) किसी नैदानिक स्थापन द्वारा ; या

(ii) किसी डाक्टर द्वारा, जो नैदानिक स्थापन का कर्मचारी नहीं है, जो आयुर्विज्ञान की किसी पद्धति में रोग, बीमारी, क्षति, अंग-विकार, अप्रसामान्यता या गर्भावस्था के संबंध में निदान, उपचार या देखभाल के लिए उस परिसर से सेवाएं प्रदान करता है ;";

(च) उपखंड (यययप) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(यययफ) किसी व्यक्ति को, किसी ऐसे रेस्टोरेंट द्वारा, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जिसके स्थापन के किसी भाग में वातानुकूलन सुविधा है, जिसके पास ऐल्कोहली पेयों को परोसने की अनुज्ञप्ति है, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय अपने परिसर में खाद्य या पेयों, जिनके अंतर्गत ऐल्कोहली पेय भी हैं, या दोनों को परोसने के संबंध में ;

(यययब) किसी होटल, सराय, अतिथि गृह, क्लब या कैंप स्थल द्वारा, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, किसी व्यक्ति को, तीन मास से कम की निरंतर अवधि के लिए वास सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में;";

(ख) धारा 66 में, उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, "और (यययप)" शब्द, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, ",(यययप), (यययफ) और (यययब)" कोष्ठक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) धारा 70 की उपधारा (1) में, "दो हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "बीस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) धारा 73 में,—

(i) उपधारा (1क) का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपधारा (2) के परंतुकों का लोप किया जाएगा ;

(iii) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

'(4क) उपधारा (3) और उपधारा (4) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी संपरीक्षा, अन्वेषण या सत्यापन के अनुक्रम के दौरान यह पाया जाता है कि कोई सेवा कर उद्गृहीत या संदत्त नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत या कम संदत्त किया गया है या उसका भूल से प्रतिदाय किया गया है, किंतु विनिर्दिष्ट अभिलेखों में संव्यवहारों के सही और पूर्ण ब्यौरे उपलब्ध हैं, वहां वह व्यक्ति, जो सेवा कर से प्रभार्य है या जिसे भूल से प्रतिदाय किया गया है, संपूर्ण सेवा कर या उसके ऐसे भाग का, जो वह प्रभार्य कर या भूल से प्रतिदाय की गई रकम के रूप में स्वीकार करे, धारा 75 के अधीन उस पर संदेय ब्याज सहित और उसे सूचना की तामील से पूर्व ऐसे प्रत्येक मास के लिए, उस अवधि की बाबत, जिसके दौरान व्यतिक्रम जारी रहता है, ऐसे कर के एक प्रतिशत के बराबर, कर की रकम के अधिकतम पच्चीस प्रतिशत तक, शास्ति का संदाय कर सकेगा और ऐसे संदाय की केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को लिखित में सूचना देगा, जो ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, इस प्रकार संदत्त रकम की बाबत उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना की तामील नहीं करेगा और सेवा कर की उक्त रकम के संबंध में कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी :

परंतु केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी ऐसे व्यक्ति से शोध्य सेवा कर, यदि कोई हो, की ऐसी रकम को अवधारित कर सकेगा, जो उसकी राय में ऐसे व्यक्ति द्वारा संदाय किए जाने के लिए शेष रहती है और उस रकम की वसूली के लिए उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रीति में कार्यवाही करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा और धारा 78 के प्रयोजनों के लिए "विनिर्दिष्ट अभिलेख" से ऐसे अभिलेख, जिनके अन्तर्गत कम्प्यूटरीकृत डाटा भी है, अभिप्रेत हैं, जैसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार किसी निर्धारिती द्वारा रखे जाने की अपेक्षा की जाती है अथवा जहां ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है, वहां निर्धारिती द्वारा लेखा पुस्तकों में अभिलिखित बीजकों को विनिर्दिष्ट अभिलेख माना जाएगा ।';

(ङ) धारा 73ख में, पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि ऐसे सेवा प्रदाता की दशा में, जिसका किसी वित्तीय वर्ष में प्रदान की गईं कराधेय सेवाओं का मूल्य, यथास्थिति, धारा 73क की उपधारा (3) के अधीन जारी की गई सूचना के अंतर्गत आने वाले वित्तीय वर्षों में से किसी वर्ष के दौरान या अंतिम पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान साठ लाख रुपए से अधिक नहीं होता है, वहां ब्याज की ऐसी दर तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष तक कम की जाएगी ।";

(च) धारा 75 में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु ऐसे सेवा प्रदाता की दशा में, जिसका किसी वित्तीय वर्ष में प्रदान की गई कराधेय सेवाओं का मूल्य, यथास्थिति, सूचना के अंतर्गत आने वाले वित्तीय वर्षों में से किसी वर्ष के दौरान या अंतिम पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान साठ लाख रुपए से अधिक नहीं होता है, वहां ऐसी ब्याज की दर तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष तक कम की जाएगी ।";

(छ) धारा 76 में,—

(i) "दो सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक सौ रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "दो प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "एक प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) परंतुक में, "से अधिक नहीं होगी" शब्दों के स्थान पर, "के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी" शब्द रखे जाएंगे;

(iv) दृष्टांत के स्थान पर, निम्नलिखित दृष्टांत रखा जाएगा, अर्थात् :—

"दृष्टांत

X, निर्धारिती, 5 मार्च तक संदेय दस लाख रुपए के सेवा कर का संदाय करने में असफल रहता है । X उस रकम का संदाय 15 मार्च को करता है । व्यतिक्रम दस दिन के लिए जारी रहा है । X द्वारा संदेय शास्ति की संगणना निम्नानुसार की जाएगी :—

10 दिन के लिए व्यतिक्रम की रकम का 1%

$$\frac{1}{100} \times 10,00,000 \times \frac{10}{31} = 3,225.80 \text{ रु०}$$

10 दिन के लिए 100 रु0 प्रतिदिन की दर से परिकलित शास्ति = 1,000 रु०

संदाय किए जाने के लिए दायी शास्ति 3,226.00 रु० है ।";

(ज) धारा 77 में, "पांच हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "दस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(झ) धारा 78 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

कराधेय सेवाओं के मूल्य को छिपाने, आदि के लिए शास्ति।

"78. (1) जहां किसी सेवा कर का—

(क) कपट ; या

(ख) दुरभिसंधि ; या

(ग) जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन ; या

(घ) तथ्यों को छिपाने ; या

(ङ) सेवा कर के संदाय से बचने के आशय से इस अध्याय या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन,

के कारण उद्ग्रहण या संदाय नहीं किया गया है या कम उद्ग्रहण या कम संदाय किया गया है या उसका भूल से प्रतिदाय किया गया है, वहां वह व्यक्ति जो धारा 73 की उपधारा (2) के अधीन यथा अवधारित ऐसे सेवा कर या भूल

से किए गए प्रतिदाय का संदाय करने के लिए दायी है उसके द्वारा संदेय ऐसे सेवा कर और उस पर ब्याज, यदि कोई हो, के अतिरिक्त ऐसी शास्ति का संदाय करने के लिए भी दायी होगा, जो इस प्रकार उद्गृहीत या संदाय न किए गए या कम उद्गृहीत या कम संदाय किए गए या भूल से प्रतिदाय किए गए सेवा कर की रकम के बराबर होगी :

परंतु जहां विनिर्दिष्ट अभिलेखों में संव्यवहारों के सही और पूर्ण ब्यौरे उपलब्ध हैं, वहां शास्ति इस प्रकार उद्गृहीत या संदाय न किए गए या कम उद्गृहीत या कम संदाय किए गए या भूल से प्रतिदाय किए गए सेवा कर की रकम कम करके पचास प्रतिशत कर दी जाएगी :

परंतु यह और कि जहां ऐसे सेवा कर और उस पर संदेय ब्याज का, ऐसे सेवा कर का अवधारण करने वाले केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के आदेश की संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर संदाय कर दिया जाता है, वहां शास्ति की रकम, जिसका वह व्यक्ति पहले परंतुक के अधीन संदाय करने के लिए दायी है, ऐसे सेवा कर का पच्चीस प्रतिशत होगी :

परंतु यह भी कि दूसरे परंतुक के अधीन कम की गई शास्ति का फायदा तभी उपलब्ध होगा, जब इस प्रकार अवधारित शास्ति की रकम का भी, उस परंतुक में निर्दिष्ट, तीस दिन की अवधि के भीतर संदाय कर दिया गया है:

परंतु यह भी कि ऐसे किसी सेवा प्रदाता की दशा में, जिसका कराधेय सेवाओं का मूल्य सूचना के अंतर्गत आने वाले वर्षों में से किसी वर्ष के दौरान या अंतिम पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान साठ लाख रुपए से अधिक नहीं होता है, वहां तीस दिन की अवधि को बढ़ाकर नब्बे दिन किया जाएगा ।

(2) जहां संदाय किए जाने के लिए अवधारित सेवा कर में, यथास्थिति, आयुक्त (अपील), अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा कमी या वृद्धि की जाती है, वहां इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, सेवा कर में की गई कमी या वृद्धि को हिसाब में लिया जाएगा :

परंतु उस दशा में, जहां संदाय किए जाने वाले सेवा कर में, यथास्थिति, आयुक्त (अपील), अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा वृद्धि कर दी जाती है, वहां उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन कम की गई शास्ति का फायदा तभी उपलब्ध होगा जब इस प्रकार वर्धित सेवा कर, उस पर संदेय ब्याज और शास्ति की पारिणामिक वृद्धि की पच्चीस प्रतिशत रकम का भी उस आदेश की, जिसके द्वारा सेवा कर में ऐसी वृद्धि लागू होती है, संसूचना के, यथास्थिति, तीस दिन या नब्बे दिन के भीतर संदत्त कर दिया गया है :

परंतु यह और कि यदि शास्ति इस धारा के अधीन संदेय है, तो धारा 76 के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (1) के दूसरे परंतुक या उपधारा (2) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट आदेश की संसूचना की तारीख से पूर्व केंद्रीय सरकार के खाते में संदत्त कोई रकम, ऐसे व्यक्ति से शोध्य कुल रकम मद्दे समायोजित की जाएगी। ";

(ञ) धारा 80 में, "धारा 78" शब्द और अंकों के स्थान पर, "धारा 78 की उपधारा (1) के पहले परंतुक" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ट) धारा 82 की उपधारा (1) में,—

(i) "केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त" शब्दों के स्थान पर, "केंद्रीय उत्पाद-शुल्क संयुक्त आयुक्त" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) ",यथास्थिति, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त" शब्दों के स्थान पर, "केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधीक्षक" शब्द रखे जाएंगे ;

(ठ) धारा 83 में,—

(i) "9ग, 9घ, 11ख, 11खख, 11ग, 12, 12क, 12ख, 12ग, 12घ, 12ङ; 14, 14कक, 15, 33क, 35च" अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "9क, 9कक, 9ख, 9ग, 9घ, 9ङ; 11ख, 11खख, 11ग, 12, 12क, 12ख, 12ग, 12घ, 12ङ; 14, 14कक, 15, 33क, 34क, 35च" अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) "35थ" अंकों और अक्षर के पश्चात् ", 35द" अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे और 20 अक्तूबर, 2010 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे ;

(ड) धारा 87 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

अधिनियम के अधीन दायित्व का प्रथम प्रभार होना।

"88. किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए, इस अध्याय के अधीन किसी निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संदेय शुल्क, शास्ति, ब्याज की कोई रकम या कोई अन्य राशि, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 529क और बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 तथा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यथास्थिति, निर्धारिती या व्यक्ति की संपत्ति पर प्रथम प्रभार होगी ।

1956 का 1
1993 का 51
2002 का 54

अपराध और शास्तियां।

89. (1) जो कोई निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करता है, अर्थात् :—

(क) इस अध्याय या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार जारी किए गए बीजक के बिना धारा 68 की उपधारा (1) के अधीन सेवा कर से प्रभार्य कोई कराधेय सेवा प्रदान करता है या उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन कर से प्रभार्य कोई कराधेय सेवा प्राप्त करता है ; या

(ख) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में या तो पूर्णतः या भागतः कराधेय सेवा या उत्पाद-शुल्क्य माल की वास्तविक प्राप्ति के बिना कर या शुल्क के प्रत्यय का उपभोग और उपयोग करता है ; या

(ग) मिथ्या लेखा बहियां रखता है या ऐसी कोई जानकारी देने में असफल रहता है, जिसे देने के लिए उससे इस अध्याय या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपेक्षा की जाती है या (जब तक इस बात का युक्तियुक्त विश्वास न हो कि उसके द्वारा दी गई सूचना, जिसे साबित करने का भार उस पर होगा, सही है) मिथ्या सूचना देता है ; या

(घ) सेवा कर के रूप में कोई रकम संगृहीत करता है किन्तु उस तारीख से, जिसको ऐसा संदाय देय हो जाता है, छह मास की अवधि से परे केंद्रीय सरकार के जमा खाते में इस प्रकार संगृहीत रकम का संदाय करने में असफल रहता है,—

(i) किसी अपराध की दशा में, जहां रकम पचास लाख रुपए से अधिक हो जाती है, ऐसी अवधि के, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, कारावास से दडंनीय होगा :

परंतु न्यायालय के निर्णय में लेखबद्ध किए जाने वाले प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, ऐसा कारावास छह मास से अन्यून की अवधि के लिए नहीं होगा ;

(ii) किसी अन्य दशा में, ऐसी अवधि के, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, कारावास से, दंडनीय होगा।

(2) यदि इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध किया जाता है तो वह दूसरे और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए ऐसी अवधि के, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, कारावास से, दंडनीय होगा :

परंतु न्यायालय के निर्णय में लेखबद्ध किए जाने वाले प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, ऐसा कारावास छह मास से अन्यून की अवधि के लिए नहीं होगा ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए छह मास से अन्यून की अवधि के लिए कारावास का दंड देने के लिए निम्नलिखित को विशेष और पर्याप्त कारण नहीं माना जाएगा,--

(i) यह तथ्य कि अभियुक्त को इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए पहली बार दोषसिद्ध किया गया है ;

(ii) यह तथ्य कि इस अधिनियम के अधीन, अभियोजन से भिन्न किसी कार्यवाही में, अभियुक्त को किसी शास्ति का संदाय करने का आदेश दिया गया है या उसी कार्य के लिए, जो अपराध का गठन करता है, उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ;

(iii) यह तथ्य कि अभियुक्त मुख्य अपराधी नहीं था और अपराध के किए जाने में मात्र द्वितीयक पक्षकार के रूप में कार्य कर रहा था ;

(iv) अभियुक्त की आयु ।

(4) किसी व्यक्ति को इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क मुख्य आयुक्त की पूर्व मंजूरी से ही अभियोजित किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।";

(ढ) धारा 93क के परंतुक में, "उसका समायोजन" शब्दों के पश्चात्, " ऐसी परिस्थितियों या ऐसी शर्तों के, सिवाय, जो विहित की जाएं" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ण) धारा 95 की उपधारा (1छ) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1ज) यदि वित्त अधिनियम, 2011 द्वारा इस अध्याय में सम्मिलित किसी कराधेय सेवा के मूल्य के कार्यान्वयन, वर्गीकरण या निर्धारण की बाबत कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अध्याय के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परंतु ऐसा कोई आदेश उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2011 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।" ;

(त) धारा 96झ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय मामलों में सेवा कर से विशेष छूट।

"96ञ. (1) धारा 66 में किसी बात के होते हुए भी, उद्योग या वाणिज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाए गए किसी क्लब या संगम द्वारा 16 जून, 2005 से 31 मार्च, 2008 (इसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) की अवधि के दौरान संगृहीत सदस्यता फीस की बाबत कोई सेवा कर उद्गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा ।

(2) सभी ऐसे सेवा कर का प्रतिदाय किया जाएगा, जो संगृहीत किया गया है किन्तु जो इस प्रकार संगृहीत नहीं किया होता, यदि उपधारा (1) सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में रही होती ।

(3) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, सेवा कर के प्रतिदाय के दावे के लिए कोई आवेदन उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2011 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास के भीतर किया जाएगा ।"।

टुअर प्रचालक द्वारा, जिसके पास यात्रियों के परिवहन के लिए अंतरराज्यीय या अंतराराज्यीय ठेका गाड़ी परमिट है, किसी व्यक्ति को दी गई छूट का भूतलक्षी रूप से विधि-मान्यकरण।

1994 का 32 **72.** (1) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 492(अ), तारीख 7 जुलाई, 2009, जिसके द्वारा किसी टुअर प्रचालक द्वारा, जिसके पास यात्रियों के परिवहन के लिए, जिसके अंतर्गत पर्यटन, संचालित टुअर, चार्टर या भाड़ा सेवा नहीं है, अंतरराज्यीय या अंतराराज्यीय ठेका गाड़ी परमिट है, किसी व्यक्ति को धारा 66 के अधीन उद्ग्रहणीय संपूर्ण सेवा कर से छूट प्रदान की गई है, सभी प्रयोजनों के लिए सभी तात्त्विक समयों पर 1 अप्रैल, 2000 से ही विधिमान्य रूप से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी और सदैव से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

(2) ऐसे सभी सेवा कर का प्रतिदाय किया जाएगा, जो संगृहीत किया गया है किन्तु जो उस दशा में संगृहीत न किया गया होता यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त होती ।

1994 का 32 (3) वित्त अधिनियम, 1994 में किसी बात के होते हुए भी, सेवा कर के प्रतिदाय के दावे के लिए कोई आवेदन उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2011 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास के भीतर किया जाएगा ।

1944 का 1 **स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ख के उपबंध इस धारा के अधीन प्रतिदायों की दशा में लागू होंगे ।